

FORM NO- III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

राज अदालत उपखंड अधिकारी, मुकाम, बयाना,

मानसिंह बनाम अतरसिंह वगैरे

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र 212, आर.टी.एक्ट नं. 129/23 सन

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	---------------------------------	---

28.06.23

एडवोकेट प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र धारा 212 आर0टी0एक्ट के तहत पेश किया। हमने एडवोकेट प्रार्थी को एक पक्षीय सुना पत्रावली मे संलग्न राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी दिनांक 16.08.23 तक इस आशय का जारी किया जाता है कि प्रार्थना पत्र की मदसंख्या 2 में वर्णित आराजियात वाके ग्राम श्यामपुरा तह0 बयाना के मौके की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थी के कब्जे काशत की आराजी के उपयोग/उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें। इस बाबत कोई आपत्ति हो तो नियत तारीख पेशी को न्यायालय हाजा उपस्थित हों। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब कर प्रकरण दिनांक 16.08.23 को पेश हो।

उपखंड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

16/8/23

पीठासीन अधिकारी
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28/11 को पेश हो

रिडर
एस.डी.ओ./एस.डी.एम. बयाना

28/11/23

पीठासीन अधिकारी
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 13/24 को पेश हो

रिडर
एस.डी.ओ./एस.डी.एम. बयाना

13/5/24

एडवोकेट प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र धारा 212 आर0टी0एक्ट के तहत पेश किया। हमने एडवोकेट प्रार्थी को एक पक्षीय सुना पत्रावली मे संलग्न राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी दिनांक 16.08.23 तक इस आशय का जारी किया जाता है कि प्रार्थना पत्र की मदसंख्या 2 में वर्णित आराजियात वाके ग्राम श्यामपुरा तह0 बयाना के मौके की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थी के कब्जे काशत की आराजी के उपयोग/उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें। इस बाबत कोई आपत्ति हो तो नियत तारीख पेशी को न्यायालय हाजा उपस्थित हों। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब कर प्रकरण दिनांक 16.08.23 को पेश हो।

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

9/3/26

पीएसडी अधिकारी...
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक..... को पेश है।

13/5/26

Prady
रीडर

ओ/एस.डी.एम.

13/5/26

~~प्रमाण पत्र उम्मा लठ वापी
उप/ बंधन कमप्लीय सुनी
गई~~

~~पत्रावली का अवलोकन किया गया
प्रमाण में प्रमाण फेजी में वजुमि
का जन्तुलन वापी प्रार्थी के पक्ष
में साबित होता है।~~

~~अतः न्यायालय द्वारा से जारी
अंतरीम स्थगन आदेश दि. 28/06/23
को मूलवाद के विषय तक पुष्ट
किया जाता है पत्रावली फेजल सुभार
द्वारा नम्बर से कम को बाद
तकमील दारिबल पक्ष है।~~